

मध्यप्रदेश शासन  
वित्त विभाग  
वल्लभ भवन-मंत्रालय-भोपाल

क्रमांक : एफ 4-1/2017/नियम/चार  
प्रति,

भोपाल, दिनांक 01-12-2017

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव  
मध्य प्रदेश शासन,  
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग  
मंत्रालय, भोपाल
2. प्रमुख सचिव  
मध्य प्रदेश शासन,  
नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग  
मंत्रालय, भोपाल

विषय - पंचायती राज संस्थाओं तथा स्थानीय निकायों में नियोजित अध्यापक संवर्ग एवं पंचायत सचिवों के मंहगाई भत्ते में वृद्धि।

—■—

राज्य शासन के शासकीय सेवकों को आदेश क्रमांक एफ 4-1/2017/नियम/चार, दिनांक 30 नवम्बर, 2017 द्वारा दिनांक 01-07-2017 से छटवें वेतनमान में 139% की दर से मंहगाई भत्ता स्वीकृत किया गया है।


2/ राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि पंचायती राज संस्थाओं तथा स्थानीय निकायों में नियोजित अध्यापक संवर्ग एवं पंचायत सचिवों का वेतन बैण्ड में वेतन एवं ग्रेड वेतन के योग पर निम्नांकित तिथि एवं दर से मंहगाई भत्ता दिया जाये :-

अवधि जब से देय	मंहगाई भत्ते का प्रतिशत
छटवें वेतनमान में देय मंहगाई भत्ता की दर दिनांक 01-07-2017 से (माह जुलाई, 2017 का वेतन जो अगस्त, 2017 में देय होगा)	139%

0  
1/12/17

4/ मंहगाई भत्ते का भुगतान अध्यापक संवर्ग एवं पंचायत सचिवों को उन्हीं संस्थाओं द्वारा किया जायेगा जहां वे कार्यरत हैं।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार

  
11/12/17  
(पंकज अग्रवाल)

प्रमुख सचिव  
मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग


पृष्ठा.क्रमांक : एफ 4-1/2017/नियम/चार

भोपाल दिनांक 01-12-2017

प्रतिलिपि

- 1 महालेखाकार (लेखा और हकदारी / आडिट)-1/2 मध्यप्रदेश ग्वालियर / भोपाल
- 2 आयुक्त स्कूल शिक्षा, मध्यप्रदेश भोपाल ।
- 3 आयुक्त, पंचायत एवं ग्रामीण विकास भोपाल
- 4 आयुक्त, नगरीय प्रशासन, मध्यप्रदेश भोपाल
- 5 आयुक्त,कोष एवं लेखा मध्यप्रदेश भोपाल
- 6 समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन मध्यप्रदेश
- 7 संयुक्त संचालक, जनसंपर्क प्रकोष्ठ, मंत्रालय, भोपाल
- 8 सभी कोषालय अधिकारी / उप कोषालय अधिकारी
- 9 गार्ड फाईल

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही के लिये अग्रेषित ।

  
(अजय चौबे)

उप सचिव

मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग